राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 29 / 2021

अनवान सन्तराम बनाम गुरबचन सिह वगैरा

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

संतराम पुत्र श्री भानीराम जाति –बिश्नोई निवासी–बोलांवाली तहसील–संगरिया। प्रार्थी

बनाम

1. गुरबचन सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति–जट सिख निवासी–संगरिया तहसील संगरिया।
2. भागवन्ती पत्नी जगराम जाति–बिश्नोई निवासी–बोलांवाली तहसील–संगरिया।
3. राधा पुत्री जगराम जाति–बिश्नोई निवासी–बोलांवाली तहसील–संगरिया।
4. शकीला पुत्री जगराम जाति–बिश्नोई निवासी–बोलांवाली तहसील–संगरिया।
5. पुष्पा पुत्री जगराम जाति–बिश्नोई निवासी–बोलांवाली तहसील–संगरिया।
6. कौशल्या पुत्री जगराम जाति–बिश्नोई निवासी–बोलांवाली तहसील–संगरिया।
7. रिछपाल उर्फ कृपाल चन्द पुत्र करनाराम जाति–बिश्नोई निवासी–बोलांवाली तह. संगरिया।
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
9. बलजीत कौर पत्नी गुरबचन सिंह जाति–जट सिख निवासी–संगरिया तहसील संगरिया।
10. औमप्रकाश पुत्र भानीराम जाति–बिश्नोई निवासी–बोलांवाली तहसील–संगरिया।
11. सुभाषचन्द पुत्र भानीराम जाति–बिश्नोई निवासी–बोलांवाली तहसील–संगरिया।
12. मुखराम पुत्र भानीराम जाति–बिश्नोई निवासी–बोलांवाली तहसील–संगरिया।
13. सुरेन्द्र कुमार पुत्र भूपराम जाति–बिश्नोई निवासी–संगरिया तहसील–संगरिया।
14. इन्द्रा देवी पत्नी महावीरप्रसाद जाति–बिश्नोई निवासी–संगरिया तहसील–संगरिया।
15. अनिल कुमार पुत्र महावीरप्रसाद जाति–बिश्नोई निवासी–संगरिया तहसील–संगरिया।
16. पुनम पुत्री महावीरप्रसाद जाति–बिश्नोई निवासी–संगरिया तहसील–संगरिया।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :--

श्री नरेश मण्डा – अधिवक्ता प्रार्थी

श्री नक्षत्र सिह सिद्दू – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1,2,7

श्री संजय धारणिया– अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ता 6, 9 ता 16

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी. एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 192 / 149 ज.स. 2072–75 में 0.557 है. कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 40 / 149 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में 0.506 है. कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के नाम से तहसील के चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 120 / 87 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में 1.012 है. कृषि भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 7 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 167 / 118 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में 0.886 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी को तहसील संगरिया के चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 192 / 149 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में 0.557 है.कृषि भूमि आवागमन के लिये एवं कृषि यंत्र लाने व ले जाने हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नही है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि काश्त करने के लिये आने जाने मे बिना स्वीकृत रास्ता के भारी असुविधा होती है तथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में स्वीकृत शुदा रास्ता नही होने से भयभीत हो रहा है। अब प्रार्थी अपनी कृषि [illegible] संख्या 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि मे से तहसील संगरिया के चक 17 बीजीपी के खाता संख्या [illegible] प न. 164 / 162 मु.न. 33 किला नम्बर 12,13, / 0.015 है. [illegible] पूर्व की ओर प्रत्येक किला मे 165 फुट लम्बा व 10 फुट चौडा) रास्ता [illegible] अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 120 / 87 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 [illegible] प.न. 164 / 162 मु.न. 33 किला नम्बर 14 / 0.015 है. (किला की पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा व 10 फुट चौडा) एव अप्रार्थी संख्या 7 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 बीजीपी के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:09:59 IST
Reason: SelfAttested

167/118 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में प.न. 164/162 मु.न. 33 किला नम्बर 17/0.015 है (किला की पश्चिमी दिशा मे उत्तर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा व 10 फुट चौड़ा) रास्ता को स्वीकृत करवा गैर मुमकिन रास्ता के रूप मे दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीणो से कई बार निवेदन किया कि आप वादग्रस्त रास्ते की कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता के रूप मे दर्ज करवा देवे तो पहले तो आज कल आज कल करते रहे लेकिन अन्त में ऐसा करने से स्पष्ट् इन्कार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृशि भूमि मे आने जाने, कृषि कार्य करने एव कृषि यंत्र लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी सख्या 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि में से तहसील संगरिया के चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 40/149 ज.स. 2072–75 मे प.न. 164/162 मु.न. 33 किला नम्बर 12,13,/0.015 है. प्र. (किलो की उत्तरी दिशा मे पश्चिमी से पूर्व की ओर प्रत्येक किला मे 165 फुट लम्बा व 10 फुट चौड़ा) रास्ता एवं अप्रार्थी सख्या 2 ता 6 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 बीजीपी के खाता संख्या 120/87 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 मे प.न. 164/162 मु.न. 33 किला नम्बर 14/0.015 है. (किला की पश्चिमी दिशा मे उत्तर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा व 10 फुट चौड़ा) एवं अप्रार्थी संख्या 7 के नाम से तहसील संगरिया के चक 17 बीजीपी के खाता सख्या 167/118 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में प.न. 164/162 मु.न. 33 किला नम्बर 17/0.015 है. (किला की पश्चिमी दिशा मे उत्तर से दक्षिण की ओर 165 फुट लम्बा व 10 फुट चौड़ा) कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड मे गै.मु. रास्ता के रूप मे अकन करने के आदेश देने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 व 9 ता 14 जरियें अधिवक्ता उपस्थित होकर रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपना राजीनामा (राजस्थान काश्तकारी/सरकारी संशोधित नियम 2012 के नियम 70(1)(i) के तहत) प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी सख्या 15 व 16 ने जरिये अधिवक्ता अपना सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। अप्रार्थी सख्या 8 तहसीलदार राजस्व संगरिया ने पत्रांक 562 दिनांक 05.08.2021 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 व 9 ता 14 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व अप्रार्थी संख्या 15 व 16 के सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 8 से प्राप्त मौका रिपोर्ट का भली–भांति अवलोकन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251 (A) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबध मे राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:-

क्रियान्विति आदेश

अतः मुताबिक राजीनामा के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 17 वी.जी.पी. के खाता सं. 223/209 के प.नं. 164/162 मु.नं. 33 के किला नं. 11/1/0.013है.,खाता स. 10/169 के प.न. 164/162 मु.नं. 33 के किला नं. 11/2/0.006 है. कुल–11/0.019है., खाता सं. 44/149 के प.न. 164/162 मु.न. 33 के किला नं. 12/0.019है.,13/0.019है.उक्त किला की उत्तरी दिशा [illegible] पूर्व दिशा की ओर ,खाता सं.161/87 के प.नं. 164/162 मु.नं. 33 [illegible] 172/118 के प.नं. 164/162 मु.नं. 33 के किला नं. 17/0.01[illegible] किला की पश्चिमी दिशा [illegible] उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गैर मुमकिन रास्ता जो कि उक्त सभी किलों में लगभग12.25 फूट चौ[illegible] रास्ता गैर मुमकिन रास्ता एव चक 16 बी.जी.पी. के स्वीकृतश्रुदा रास्ता से खाता स. 93/74 मे प.न. 164/163 मु.नं. 44 के किला नं. 10/3/0.010 है.,इसी चक के खाता सं. 92/47 प.नं. 164/163 मु.न. 44 के किला न. 10/2/0.009 है.इसी के साथ चिपता हुआ,इसी चक के खाता सं. 24/47 प.नं. 164/163 मु.नं. 44 के

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:09:59 IST
Reason: SelfAttested

किला नं. 9/0.010 है.किला की पश्चिमी दिशा में किला के बीच से उत्तर से दक्षिण उक्त किला का उत्तर दिशा मे 70 फूट छोडकर 95 फूट लम्बा व 12.25 फूट चौडा व इसी रास्ता के लगते हुए आगे इसी चक के खाता सं. 45/74 प.नं. 164/163 मु.नं. 44 के किला नं. 12/0.019 है. समस्त 12.25 फूट चौडा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तथा चक 17 बी.जीपी. के खाता सं. 114/149 के प.नं. 165/162 मु.नं. 32 के किला नं. 21/3/0.042है. कृषि भूमि को रास्ता की भूमि के एवज मे राजीनामा के अनुसार प्रार्थी संतराम पुत्र भानीराम के नाम अंकित कर इसी हद तक बलजीत कौर पत्नी गुरबचन सिंह का हिस्सा कम कर संतराम का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार संगरिया राजस्व रिकार्ड में आरटीए 251–ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्वा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज किया जावें। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 व 9 ता 14 के मध्य हुआ राजीनामा आदेश के अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/8/22

(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:09:59 IST
Reason: SelfAttested